



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत

[Phone No. 07152-232669, Fax No. 07152-247602]

[Website : www.hindivishwa.org]

निविदा

Tender No. : MGAHV/CD/34/2023-24/07

Date : 14.06.2023

विश्वविद्यालय के गांधी हिल परिसर स्थित कैंटीन का आबंटन किया जाना है।
निविदा की पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर
उपलब्ध है।

कादर वास
कुलसचिव
14/06/23



विनोद वैद्य
Vinod Vaidya
 सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)
 Assistant Registrar (Campus Development)

दूरभाष / Phone : +91-7152-232669
 मोबाईल / Mob. : 09823499988
 फैक्स / Fax : +91-7152-232669
 क्रमांक: 34/2023-24/Gandhi Hills/Restaurant File/02
 दिनांक: 14.06.2023

251

गांधी हिल कैटीन आबंटन हेतु सूचना

विश्वविद्यालय परिसर स्थित गांधी हिल कैफे का आबंटन किया जाना है:-

क्रमांक	आबंटित की जाने वाली कैटीन का स्थान	जगह (वर्ग फीट)	न्यूनतम निर्धारित दर (प्रति वर्ग फिट)	टिप्पणी
01.	गांधी हिल कैफे	987.62		

- गांधी हिल कैफे हेतु आवेदन दिनांक 14.06.2023 से दिनांक 30.06.2023 अपराह्न 03:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
- Technical & Financial bid के अलग-अलग सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर लिफाफा बंद कर लिफाफे पर “गांधी हिल कैटीन आवेदन” स्पष्ट लिखा हुआ हो। सभी लिफाफों पर मोबाइल नंबर, फर्म का नाम व पता लिखना अनिवार्य होगा।
- निविदा को कुलसचिव कार्यालय में रखे Tender Box में डालना होगा।
- गांधी हिल कैटीन का आबंटन प्रथमतः 01 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की अवधि (प्रति वर्ष 10% वृद्धि का प्रावधान) तक बढ़ाया जा सकता है।
- गांधी हिल कैटीन हेतु बिजली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए अलग से मीटर की व्यवस्था होगी। बिजली की दर Maharashtra State Electricity Distribution Co. LTD., की अधिकतम व्यावसायिक दर के अनुसार प्रतिमाह देय होगी।
- पानी शुल्क कैफे हेतु रु.500/- (रुपया पांच सौ मात्र) प्रति माह की दर से देय होगा।
- आबंटित गांधी हिल कैफे सुबह 8:00 बजे से अधिकतम रात्रि 9:00 बजे तक या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार खुला रखना होगा।
- आबंटित गांधी हिल कैटीन को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम, खाद्य वस्तु उपयोग संबंधी नियम, वर्धा पुलिस के लाइसेंस संबंधी नियमों एवं शुल्क देयता आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। कैटीन में नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कैटीन आबंटि द्वारा स्वयं सुनिश्चित करना होगा।
- आबंटि व्यक्ति किसी अन्य को परिसर में गांधी हिल कैटीन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, जिस उद्देश्य के लिए कैटीन खोलने की अनुमति मांगी गई है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य परिवर्तन से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

विनोद वैद्य

Vinod Vaidya

सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)

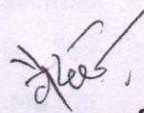
Assistant Registrar (Campus Development)

दूरभाष / Phone : +91-7152-232669

मोबाईल / Mob. : 09823499988

फैक्स / Fax : +91-7152-232669

10. गांधी हिल कैटीन में भोजन, नाश्ता बनाने, बिस्किट, नमकीन, पेटीज, समोसा, कचोरी, चाय, कॉफी के अलावा रोजमर्रा की जरूरत के सामान बेचने की अनुमति होगी। इससे अधिक चीजें बेचने से पहले विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। किसी भी रूप में मादक या नशीले पदार्थों (यथा-शराब, गांजा, सुर्ती, गुटखा, पान मशाला, सिगरेट आदि) की बिक्री या वितरण करना कानूनन अपराध होगा।
11. सुरक्षा राशि के रूप में आबंटन के समय आबंटनी को 10 माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर की राशि विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में संबंधित सूचना प्राप्ति के 07 कार्यालयीन दिवसों के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
12. आबंटनी को अपने Pan Card, Aadhar Card की हस्ताक्षरित प्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।
13. गांधी हिल कैटीन पाने वाले फर्म के द्वारा रु. 100 (रुपया सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध-पत्र हस्ताक्षरित करना होगा।
14. उक्त किसी भी शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। विश्वविद्यालय कभी भी 01 माह की लिखित पूर्व सूचना के द्वारा कैटीन खाली करवा सकता है।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय का निर्णय सर्वमान्य होगा।
16. समस्त विवाद वर्धा, न्यायालय के परिक्षेत्र के अधीन होंगे।


(सहायक कुलसचिव)

प्रतिलिपि/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु)
3. वित्ताधिकारी कार्यालय
4. संबंधित पत्रावली

2/2



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

गांधी हिल कैटीन आबंटन के आवश्यक बिन्दु

तकनीकी निविदा

विश्वविद्यालय परिसर स्थित गांधी हिल कैटीन आबंटन हेतु निम्नांकित शर्तों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है-

1. रु.500 की डी.डी. (आवदेन शुल्क) (अहस्तान्तरणीय)

वित्ताधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा महाराष्ट्र के नाम देय

2. आधार क्रमांक (प्रमाणित प्रति) अनिवार्य।

3. PAN क्रमांक (प्रमाणित प्रति) अनिवार्य।

4. प्रत्येक माह बिल भुगतान

बिल प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर बिल का भुगतान वित्त विभाग में करना अनिवार्य होगा।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि दुकान आबंटन संबंधी समस्त शर्तें मुझे मंजूर हैं। यदि नियम/शर्तें मेरे द्वारा पालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए मेरे ऊपर विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

निविदाकर्ता का पूरा नाम

पता

• मकान संख्या-

• मुहल्ला-

• थाना -

• जिला -

• राज्य -

• पिन कोड-

• मोबाइल नं.-

• ई-मेल-



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

गांधी हिल कैटीन आवंटन के आवश्यक बिन्दु

वित्तीय निविदा

क्रमांक	जगह (वर्ग फीट)	दुकान के किराए की दर @ रु. प्रति वर्ग फिट
01.	987.62	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि दुकान आवंटन संबंधी समस्त नियम/शर्तें मुझे मंजूर हैं। यदि नियम/शर्तें मेरे द्वारा पालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए मेरे ऊपर विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

निविदाकर्ता का पूरा नाम

पता

- मकान संख्या-
- मुहल्ला-
- थाना -
- जिला -
- राज्य -
- पिन कोड-
- मोबाइल नं.-
- ई-मेल-